भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 05 / 166 / 2016 / एफ0सी0 /1496 दिनांक: 08 / 10 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज में स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 हे0 वन भूमि वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन । **(FP/UK/MIN/20542/2016)**

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 472 / FP/UK/MIN/20542/2016 (देहरादून) दिनांक 18.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 12.08.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–18.11.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज में स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 हे0 वन भूमि वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन** हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. **प्रतिपूरक वनीकरण**
   (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 47.50 हे0 सौड़ा ब्लॉक में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

   (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं अथवा राज्य वन विभाग के माध्यम से निरापद क्षेत्र (7.5 मीटर की पट्टी, लागू अनुसार खनन लीज या खनन क्लस्टर एवं स्वीकृत खनन योजना में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों के भीतर रखी जाएगी)में बाड़ लगाने, संरक्षण एवं वनीकरण का कार्य परियोजना लागत परकरेगा। खनन पट्टे का निरापद क्षेत्र खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल का एक हिस्सा होगा।
7. उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अवधि,खानों एवं खनिजों (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अनुदित खनन पट्टे की अवधि के साथ लक्षित की जाएगी।
8. हाथ के औजारों का उपयोग करके लघु खनिजों को मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाएगा। गौण खनिजों को तोड़ने /एकत्र करने के लिए विस्फोटक और भारी मशीनरी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण अनुमोदित खनन योजना एवं संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशानुसार खनन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र का खनन एवं भूमि सुधार करेगा।

10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. Minor खनिजों का निष्कर्षण नदी के तल की चौड़ाई के मध्य के आधे हिस्से तक सीमित रहेगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बैंक के साथ नदी तल की चौड़ाई का एक चौथाई हिस्सा बरकरार रहेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. प्रत्येक वर्ष मानसून की समाप्ति के उपरांत एवं चुगान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गछित समिति द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में उपलब्ध minor खनिज की मात्रा का आंकलन किया जाएगा तथा उस वर्ष आंकलित मात्रा या माईनिग प्लेन में दी गई मात्रा जो भी कम हो का ही चुगान किया जाऐगा।
16. प्रस्ताव के अनुसार safety zone area treatment plan योजना लागू की जाएगी।
17. खनिज का संग्रह का समय सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होगा।
18. सम्बन्धित कार्यवृत्त हेतु देहरादून वन प्रभाग की कार्ययोजना में दिये गय prescription का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)